न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1196 / 2024
अनवान : –

1. हरदेव सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली ढ़ाणी तहसील नोहर ।

– वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 213/101 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.4045 है० भूमि व खाता संख्या 179/155 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.1640 है० भूमि वादी के नाम. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 1/1 के प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा अन्यत्र खाला स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौका पर रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 1/1 के प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 में खाला चालु नहीं है। प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला की भूमि वादी के रोही मोजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 179/395 की भूमि है जो 19 जेएसएन के खाता संख्या 1/1 में प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला के नाम दर्ज है लेकिन वर्तमान में प० नं० 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० भूमि में कोई खाला नहीं है। जिससे वादी के खातेदारी हकूक का हनन् होता है। इसलिए वादी रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 1/1 के प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला की भूमि को मुमकिन करवाकर अपने रोही मौजा 19 जेएसएन के खाता संख्या 179/155 की. भूमि में शामिल करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाकर रोही मौजा 19 जेएसएन के अपनो दो अलग अलग खाता संख्या 179/155 व खाता संख्या 213/101 को एक ही खाता में मर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:51:17 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद के समर्थना में नकल जमाबंदी रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के खाता स0 179/155 व खाता संख्या 213/101 पेश की गई जो की शामिल मिसल की गई। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 1/1 के प० नं0 330/395

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

(54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 हैक्ट भूमि में कोई खाला न तो निर्मित है एव सिंचाई विभाग के द्वारा अन्य जगह पर खाला स्वीकृत किया जा चुका है एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि रोही मौजा 19 जेएसएन के प0न0 330/395 के किला न0 1/1, 2/2, 9/2 में सीएडी स्कीम के अभिलेखागार अनुसार कोई खाला दर्ज नही है।

साक्ष्यवादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रिवाईज्ड स्वीकृत चक प्लान में उक्त खाला की बजाय सीएडी विभाग द्वारा अन्यत्र खाला स्वीकृत कर निर्माण करवा दिया गया है अब मौका पर रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 1/1 के प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 में खाला चालु नहीं है। प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला की भूमि वादी के रोही मोजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 179/395 की भूमि है जो 19 जेएसएन के खाता संख्या 1/1 में प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला के नाम दर्ज है लेकिन वर्तमान में प० नं० 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० भूमि में कोई खाला नहीं है। जिससे वादी के खातेदारी हकूक का हनन् होता है। इसलिए वादी रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 1/1 के प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला की भूमि को मुमकिन करवाकर अपने रोही मौजा 19 जेएस़एन के खाता संख्या 179/155 की. भूमि में शामिल करवाकर अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाकर रोही मौजा 19 जेएसएन के अपनो दो अलग अलग खाता संख्या 179/155 व खाता संख्या 213/101 को एक ही खाता में मर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं राज्य हकों को ध्यान मे रखते हुए वाद का निस्तारण किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया वाद में प्रस्तत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 213/101 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.4045 है० भूमि व खाता संख्या 179/155 के कुल खसरे 5 का कुल क्षेत्रफल 1.1640 है० भूमि वादी के नाम. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 1/1 के प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि मौके पर अब खाला नही है क्योंकि सिचिंत क्षेत्र विकास विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत चक स्कीम में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत किया गया है इसलिए गै0मु0 खाला भूमि को मुमकिन दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई की रोही मौजा 19 जेएसएन के प0न0 330/395 के किला न0 1/1 [illegible] 9/2 में सीएडी स्कीम के अभिलेखागार अनुसार कोई खाला दर्ज नही है एवं [illegible] उक्त किला न0 में कोई खाला न तो निर्मित है एव न ही चालु है इसलिए गै0मु0 खाला की भूमि को मुमकिन दर्ज किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:51:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गै0मु0 खाला अथवा रास्ता के बदलाव/निरस्तीकरण हेतु राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्ते 1955 की शर्त संख्या 8(1) व 8(2) में वर्णित प्रावधानों व प्रदत्त शक्तियों तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2011(1) स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम राजपाल पेज न0 167, आरआरडी 1987 पेज न0 279 एवं आरआरडी 1998 पेज न0 699 के अनुसार जब कभी भी किसी कारणवंश पूर्व में निर्मित रास्ता एवं खाले को निरस्त किया जाता है तो वह रास्ता एवं खाले की भूमि उसी काश्तकार के खाते में प्रत्याहित हो जावेंगी जिसके खाते में यह कम की गई थी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों के अवलोकन से पाया गया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 1/1 के प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला दर्ज है लेकिन वर्तमान में जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में खाला स्वीकृत नही किया गया है तथा तहसीलदार नोहर के रिपेार्ट के अनुसार उक्त किलों में खाले का निर्माण नही है एवं न ही चालु है अब सिंचाई विभाग द्वारा खाला अन्य जगह पर स्वीकृत किया जा चुका है इसलिए वादी की भूमि में से गै0मु0 खाला के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादी अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

तहसीलदार नोहर एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर द्वारा भी रिपोर्ट प्रेषित कि गई की उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला नही है एवं नई चक स्कीम के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाता स्वीकृत भी नही है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग नोहर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 1/1 के प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला की भूमि को मुमकीन कर वादी के रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 179/155 में गै० मु० खाला की बजाये खातेदारी/मुमकिन भूमि घोषित किया जाता है तथा वादी के दो अलग–अलग खाता संख्या 179/155 व खाता संख्या 213/101 को एक साथ सामिल करके दोनो खातो की भूमि को एक ही खाता में दर्ज किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:51:17 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1196/2024

अनवान : –

1. हरदेव सिंह पुत्र विचित्र सिंह जाति जटसिख निवासी मोधुवाली ढ़ाणी तहसील नोहर ।

– वादीगण

बनाम्

1. राज़स्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1196 सन 2024 निर्णय दिनांक 25/11/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड नोहर एवं तहसीलदार नोहर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 1/1 के प० नं0 330/395 (54) के किला नं. 1/3 की 0.0250 है० गै० मु० खाला की भूमि को मुमकीन कर वादी के रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 179/155 में गै० मु० खाला की बजाये खातेदारी/मुमकिन भूमि घोषित किया जाता है तथा वादी के दो अलग–अलग खाता संख्या 179/155 व खाता संख्या 213/101 को एक साथ सामिल करके दोनो खातो की भूमि को एक ही खाता में दर्ज किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हों। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:51:17 IST
Reason: SelfAttested